पत्रांक :–3/अनुदान–01/2018 (उ0शि0) 151/1045/

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

सुधीर बाड़ा (भा0प्र0से0),

निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक 08/10/2025

विषयः– **झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, रॉची को वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त वेतन एवं संविदा आधारित मानदेय एवं अन्य बकाया वेतन के लिये स्थापना व्यय के अन्तर्गत सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में रू0 1,50,00,000=00 (एक करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 145/बजट दिनांक 06.10.2025 के आलोक में झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, रॉची को वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त वेतन एवं संविदा आधारित मानदेय एवं अन्य बकाया वेतन के लिये स्थापना व्यय के अन्तर्गत सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में रू0 1,50,00,000=00 (एक करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025–26 की निम्नांकित शीर्ष – "2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102–विश्वविद्यालय को सहायता, BW– झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, रॉची, विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान, 46–सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) विपत्र कोड–21S220203102 BW000646 के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer,बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

4. झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत रॉची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. राशि की विमुक्ति निम्न शर्त्तों के अधीन की जा रही है –

(i) विश्वविद्यालय को निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर ही महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।

(ii) विश्वविद्यालय नवांगीभूत महाविद्यालय के किसी ऐसे शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी से कार्य नहीं लेगा जिसका नाम अग्रवाल कमीशन अथवा एस0बी0सिन्हा कमीशन के प्रतिवेदन में सकारात्मक अनुशंसा के साथ नहीं है। अगर नियमित एवं अवैध रूप से किसी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी से सेवा लिये जाने के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का भुगतान देय होता है तो इस अनियमित भुगतान का दायित्व विश्वविद्यालय के उपर होगा एवं विश्वविद्यालय से संबंधित पदाधिकारी/पदाधिकारियों के विरूद्ध झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम के संगत धाराओं के तहत नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

(iii) यदि कोई शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी अंगीभूत महाविद्यालय में प्रतिनियोजित है तो उनके वेतनादि का भुगतान उनके पैतृक महाविद्यालय से किया जायेगा।

(iv) राज्य सरकार द्वारा वेतन निर्धारण एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत नियम/विनियमन/परिनियम तथा विभिन्न संकल्पों के आलोक में ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाय। यदि भविष्य में किसी नियम/विनियमन/परिनियम अथवा संकल्प में अपेक्षित संशोधन की जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा वेतन भुगतान के समय उक्त संशोधन के आलोक में ही कार्रवाई की जायेगी।

(v) विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत शिक्षक/पदाधिकारी/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को ही स्वीकृत राशि से भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम–341 एवं 342 के आलोक में महालेखाकार एवं विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें ताकि इसे महालेखाकार कार्यालय को भेजा जा सके।

(vi) विश्वविद्यालय को स्पष्ट निदेश दिया जाता है कि वह वेतन मद की राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं करेगा। राशि के विचलन होने पर संबंधित कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी/वित्त परामर्शी की जबावदेही होगी।

(vii) कोई विभाग/महाविद्यालय या संकाय में नामांकन एवं शिक्षण की दृष्टि से कोई भी पद अव्यवहार्य (Non viable) हो तो इसकी सूचना शीध्र प्रशासी विभाग को दी जाए।

(viii) संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मियों हेतु स्वीकृत भत्तों का ही भुगतान किया जाय।

(ix) प्रत्येक माह के 1 तारीख को शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतानादि का भुगतान किया जाना विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

9. स्वीकृत्यादेश संख्या 145/बजट दिनांक 06.10.2025 की अन्य शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

07.10.25

(सुधीर बाड़ा)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3 / अनुदान–01 / 2018 (उ0शि0) 151/क्रम... / रॉची, दिनांक– 08/10/2025

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07.10.25

(सुधीर बाड़ा)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3 / अनुदान–01 / 2018 (उ0शि0) 151/क्रम... / रॉची, दिनांक– 08/10/2025

प्रतिलिपि –विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव / कुलसचिव, झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, रॉची / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07.10.25

(सुधीर बाड़ा)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 3/ANU-01/2018/151/BUDGET **दिनांक -** 08-Oct-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203102BW000646 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता BW - झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राँची 00-NA 06 - अनुदान **Establishment Expenditure** State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	64273	DRNEDN046 SUDHIR KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 46 - सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	15,000,000.00 रुपये एक करोड पचास लाख

योग: रुपये एक करोड पचास लाख 15,000,000.00

क्रमिक योग:

Sudhir Bara

(SUDHIR BARA)

DIRECTOR

 117.233.180.41 **Run Date:** 8/10/2025